बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 172231 पटना, दिनांक 26.12.2013

ग्रा0वि07(आं0)-42 (2)/2013

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार सिंह,
अपर सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सीवान ।

विषयः- मनरेगा कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु मार्गदर्शन के संबंध में ।

प्रसंगः- आपका पत्रांक 313-I / अभिकरण दिनांक 30.10.2013

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मनरेगा कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है ।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक 108666 दिनांक 04.06.2012 के कंडिका-1 में उल्लेख किया गया है कि हर माह के 10 तारीख तक जिला अन्तर्गत कार्यरत सभी मनरेगा कर्मियों को उनका निर्धारित मासिक मानदेय का पूर्ण भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जाए, जिसका स्पष्ट उल्लेख विभागीय पत्रांक 152718 दिनांक 26.06.2013 में भी किया गया है ।

पत्रांक 108666 दिनांक 04.06.2012 के कंडिका-6 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पूर्व में निर्गत निधि प्रबंधन संबंधी सभी पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

पूर्ण भुगतान का आशय उपस्थिति विवरणी के आधार पर गणना की गयी मानदेय के भुगतान से है ।

विश्वासभाजन

23.12.13

(मिथिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव ।